

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

तारीख दायर

प्रकरण संख्या :- 63/2018

श्रीवल्लभ फिदा इरला हाट नि राजाजीकागुज

.....प्रार्थी

बनाम

1- शम्भूचरण फिदा विशाखा इरला लाखापेट
तहसील तालेज

2- भावल फिदा मंगू इरला तहसील तालेज

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 9-4-19

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री सुमित जोषी एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम गुडा पटवार हल्का गुडा तहसील विजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 76 पर अंकित आराजी संख्या 594 595 596 860/40 905/40 905/40 बीघा भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2012 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक को पत्थरगढ़ी बाबत् कसिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रु तः अतः

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम गुडा पटवार हल्का गुडा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 76 पर अंकित आराजी संख्या 594 595 596 860/40 905/40 905/40 बीघा भूमि वशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार विजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ